



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या : 467 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2021-02-मा०सं०(04) / 2021

दिनांक 01 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में।

एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति विषयक वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी निर्गत निगम के आदेश सं०-641/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009 दिनांक 24.04.2009 को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-4094-आ०सं०-17/पाकालि/2016-11(11)एफ/86 टीसी दिनांक 13.10.2016 की समरूपता में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की 190वीं बैठक दिनांक 05.02.2021 के एजेण्डा आईटम सं०-190.45 में लिये गये निर्णयानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अधिकारों का निम्नवत् प्रतिनिधायन तत्काल प्रभाव से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

निगम का नाम	अधिशासी अभियन्ता एवं उप सचिव/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/समकक्ष वेतनमान के ऐसे अधिकारी जो अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य सम्पादित करते हैं।	उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता	महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर- I।)	मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर- I)	महाप्रबन्धक (मा०सं०)	निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) एकल	निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) निदेशक (वित्त) की सहमति से
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०	1	2	3	4	5	6	7
	₹5,000/-	₹10,000/-	₹50,000/-	₹50,000/-	₹1,50,000/- तक	₹5,00,000/-	₹5,00,000/- से अधिक के प्रकरण

(उपरोक्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने हेतु केवल वे ही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य आवंटित होंगे)।

कार्यालय ज्ञाप सं०- 641/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009 दिनांक 24.04.2009 की शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या: 467(1)/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव(वि०श्रे०)।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/मा०सं०/वित्त/पी०पी०एम०एम०/जानपद/जानपद नव परियोजनार्थे-1,II/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।

2/01/2021

शेष पृष्ठ 02 पर.....

4. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 190वीं बैठक के एजेण्डा आईटम सं०-190.45 के सम्बन्ध में सूचनार्थ।
6. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/1×660 मे०वा०, पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि०/अधि०अभि०(मा०सं०-01/02/03/04/05/06/औ०सं०/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कार्मिक अधिकारी (औ०सं०), उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कट फाईल।

आज्ञा से,

(नीरज कुमार तिवारी)

अधिशाली अभियन्ता (मा०सं०-04)